(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना की रुपरेखा क्या है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, औषधों और भेषज समिति (हाथी समिति) जिसने अप्रैल 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों के युक्तियुक्त नियंत्रण के संबंध में कई सिफारिशें की है ये सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं और निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की आशा है।

Indian Judicial Service

1145. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is proposed to have an Indian Judicial Service; and

(b) if so, what steps have been taken in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). The 42nd Amendment of the Constitution contains enabling provisions relating to the creation of an All India Judicial Service. It was stated in the President's Address that a comprehensive measure would be brought before Parliament to amend the Constitution. The 42nd Amendment of the Constitution will be taken into account while working out the proposed measure. In the meantime no steps have been taken to implement the provisions relating to the creation of the All India Judicial Service.

औषधियों के मूल्य कम करना

1146. **श्री कल्याण जैन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री औषधियों के मूल्य कम कराने के उद्देश्य से औषध निर्माताओं से मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में औषध निर्माताओं की प्रतिक्रिया क्या है; और किन किन औषधियों के कितने कितने मूल्य कम हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार औषध निर्माताओं को कम और उचित मूल्य पर कच्चा माल सप्लाई करने का है और यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). बम्बई में प्रेस संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री ने देश में भेषज कम्पनियों को उनके द्वारा निर्मित विभिन्न औषधियों के स्वेच्छा से मूल्य कम करने के लिए अपील की थी। निर्माताओं की प्रतिक्रिया का अभी तक कुछ पता नहीं है।

(ग) औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत विनियमित किए जाते हैं। बड़ी मात्रा में प्रपुंज औषध, जो सूत्रयोगों के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, इस समय सी टी सी के जरिए सरणीबद्ध है और निर्धारित सूत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा तय किए गए उचित मूल्यों पर औषध निर्माताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं हाल ही में आयातित औषधों के मूल्यांकन सूत्र का सी पी सी के जरिए पुनरीक्षण

किया गया था जिससे कुछ दावों में कमी और सी पी सी को स्वीकृत मार्जिन पर प्रभाव पड़ा था ।

भागलपुर में आय-कर अपीलीय बेंच

1147. **डा० रामजी सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर स्थित आय-कर अपीलीय बेंच को समाप्त कर देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को लोक संगठनों की ओर से भागलपुर की इस बेंच को बनाये रखने की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) भागलपुर में आय-कर अपील अधिकरण की कोई बेंच नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Re-instatement of Signal and Tele-Communication casual labourers of Kazipet

1149. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to reinstate 150 Signal and Tele-communication casual labourers of Kazipet who were dismissed during May Strike, 1974; and

(b) if so, when?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). Orders for the reengagement of the 158 casual labourers of the Signal and Tele-communication Department at Kazipet, who had been discharged for their participation in the May 1974 Strike, have been issued. Out of them, 140 have already reported to duty. The rest will be taken back to duty as and when they report.

Extra Expenditure incurred during 1974 Railway Strike

1150. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be be pleased to state what was the extra expenditure incurred by the railway authorities during the period of 1974 railway Strike and what are the heads of expenditure?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): The extra expenditure incurred by the Railways during the period of 1974 railway strike is as under:

		(Rs. in Lakhs)
1.	Hard Duty Allowance	24·50
2.	Higher rates of D.A. including running allowance etc. payable to staff on duty during strike period	2·37
3.	Cost of territorial army arrangements including officiating promotions	196·51
4.	Cost of additional security arrangement etc.	29·73
5.	Miscellaneous expenditure such as feeding of staff during strike period, patrolling of track etc.	191·32
	TOTAL	444·43